सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी – श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 08/2012

1. श्रीमती सन्तोष पत्नि श्री मोडसिंह पुत्री श्री कूंपा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम रूपाहेली हाल मुकाम शैलपुरा तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती कमला पत्नि श्री अर्जुनसिंह पुत्री कूंपा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम रूपाहेली हाल मुकाम बाघमाल, तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.)
3. श्रीमती सोहनी पत्नि श्री भंवरसिंह श्री कूंपा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम रूपाहेली हाल मुकाम भैरू का नाका तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

......................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) महोदय ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर (राज.)
3. श्री सम्पत पुत्र श्री मिठु जाति रावत, निवासी ग्राम रामगढ़ झूठा, ग्राम पंचायत बलाड़ सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

..................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक : 15-07-2019

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा रूपाहेली पटवार हल्का बलाड़ मौजा बलाड़ गिरदावर हल्का नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान के साबिक खसरा नम्बर 1676 रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी जिसका हाल खसरा नम्बर 2009 व रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी स्थित है। उक्त भूमि की जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत् 2018–2021 में साबिक खसरा नम्बर 1676 बाबत् इन्द्राज गुला, भीमा पिसरान लाखा जाति रावत से खातेदार काश्तकार के रूप में दर्शाया गया है। भीमा नाऔलाद फौत हो चुका है, भीमा के हिस्से की भूमि गुला में निहित होकर गुला ही उक्त भूमि पर अरसे दराज आज दिन तक कब्जा काश्त बरकरार रखे हुए है तथा गुला भी फौत हो चुका है जिसके एक मात्र पुत्र कूंपा था जिसका भी देहान्त हो चुका है और वादीगण कूंपा की पुत्रियां है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कूंपा जी के वारिसान वादीगण होने के नाते तमाम भूमि वादीगण की भूमियां है जिस पर वादीगण का नियंत्रण बतौर कब्जा काश्त खातेदारी एवं दखल में बेरोकटोक चली आ रही है। जमाबन्दी संवत् 2059–62 में हाल खसरा नम्बर 2009/1 करके 10 बिस्वांसी भ्भूमि आज भी गुलाब भीमा पिसरान लाखा के नाम दर्ज हुई है जो कि रकबा गलत दर्शाया गया है तथा काबिले दुरूस्त की जानी है तथा इस प्रकार जमाबन्दी संवत् 2051–54 में हाल खसरा नम्बर 2009/1 को गुला व भीमा पिसरान लाखा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया जो कि दुरूस्त किये जाने का इन्द्राज है जो कि जमाबन्दी संवत् 2018–21 में वादीगण के दादा व बड़े दादी जी के स्पष्ट तौर पर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्शा रखा है तथा जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में हाल खसरा नम्बर 2013/3 व अन्य ओर खसरा बाबत् गुला पुत्र श्री लाखा को दर्शाते हुए उसे गैर खातेदार के रूप में दर्शा कर जानबूझकर नकल जारी करींन्दा बाबू के द्वारा टिकिट (कॉपी के टिकट) चिपकाए गए हैं। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 2009/1 को संवत् 2059

......................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

2059–62 में वादीगण के दादाजी को खातेदार काश्तकार के रूप में दर्शाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 1676 से मिलान क्षेत्रफल प्राप्त किया गया जिसमें हाल खसरा नम्बर 2009 को बतलाया गया है और जानबूझकर मिलान क्षेत्रफल की सही स्थिति को नहीं दर्शाया गया तथा वर्किंग जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 2009/2 अंकित करते हुए उसका रकबा 02–01–10 दर्शाया गया है। यह खसरा साबिक खसरा नम्बर से स्पष्ट मिलान खाता है तथा इस भूमि काा वादीगण की हस्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि होने के बावजूद जमाबन्दी संवत् 2051–2054 में आबादी अधीनस्थ ग्राम पंचायत बलाड़ दर्शाया गया है जो कि रेकार्ड स्पष्ट तौर पर दुरूस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार वर्किंग जमाबन्दी में भी हाल खसरा नम्बर 2009/2 रकबा 02–01–10 दर्शाया गया है तथा वर्किंग जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में भूमि जो कि पंचायत (आबादी) के तहत दी गयी है जो कि गलत इन्द्राज है तथा काबिले दुरूस्त योग्य है। अतः वादीगण के हक व विरूद्ध प्रतिवादीगण के हक में इस आशय की घोषणात्मक डिक्री फरमावें कि साबिक खसरा संख्या 1676 रकबा 02–01–10 जिसका हाल खसरा नम्बर 2009 बतलाया गया है और रकबा भी 02–01–10 बतलाया गया है, के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2009/2 रकबा 02–01–10 दर्शाया गया है, इस भूमि का उपयोग व उपभोग चिकाल से वादीगण बतौर खातेदार करते चले आ रहे हैं, वादीगण की हस्ब कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि घोषित किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमावें, तदनुसार वादीगण के हक में राजस्व रेकार्ड में आमूल चूल दुरूस्ती करने का आदेश साबिक खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2009/2 के लिए किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमावें। वादीगण के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रदान किया जावे तथा वाद में जिस प्रकार से राजस्व रेकार्ड दुरूस्त बाबत् विवेचना की है, साबिक खसरा नम्बर 1676 के अनुसार हाल खसरा नम्बर के लिए राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमाते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमावें।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके जवाबदावा हक बंद किये गये।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किये जिसमें उनके कथन कमोबेश उनके वादप. अनुसार ही रहे। स्वतंत्र गवाह श्री हरिसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह जाति रावत उम्र 60 साल निवासी ग्राम रूपाहेली तथा स्वतंत्र गवाह श्री मिठु पुत्र श्री मानसिंह जाति रावत उम्र 50 साल निवासी ग्राम रूपाहेली के साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत हुए जिनमें उन्होंने वादीगण के कथनों की पुष्टी किये जाने के कथन अंकित किये हैं।

अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनमें उनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा उन्होंने वाद में वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

(जगमीतसिंह संधु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

.....................लगातार

Scanned by CamScanner

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् **प्रदर्श–1** ग्राम बलाड़ का मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है जिसमें ख.सं. 1676 रकबा 02–01–10 जिसके हाल ख.नं. 2009 रकबा 02–01–10 बने होना दर्ज हैं। **प्रदर्श–2** मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है जिसमें साबिक खसरा संख्या 1676 रकबा 02–01–10 जिसके हाल खसरा नम्बर 2009 रकबा 02–01–10 व साबिक खसरा संख्या 1678 रकबा 08–09–10 जिसके हाल ख.नं. 2009 रकबा 00–01–00 आंशिक बनना दर्ज है। **प्रदर्श–3** ग्राम बलाड़ की जमाबन्दी संवत् 2059–62 के खाता संख्या 630 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2009/2 रकबा 02–01–10 आबादी भूमि अधिनस्थ ग्राम पंचायत बलाड़ दर्ज होना पाया गया। **प्रदर्श–4** ग्राम बलाड़ की जमाबन्दी संवत् 2059–62 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 113 में खसरा संख्या 2009/1 रकबा 00–00–10 गुल्ला व भीमा पि. लाखा कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया जिसमें लगे नोट नामा. सं. 908 दिनांक 17.08.2002 के द्वारा विरासत से मृतक गुल्ला के स्थान पर बहक शंकरसिंह मुतबन्ना कूम्पसिंह1 हि. कमला, साहनी, सन्तोष पुत्रियां कूम्पसिंह ब.हि.ब. 3 कौम रावत के नाम अंकन करने का इन्द्राज दर्ज होना पाया गया तथा नां. सं. 950 दिनांक 20.04.2004 बिरासत से मृतक भीमा वल्द लाखा के स्थान पर बहक जड़ाव पुत्री भीमा के नाम अंकन करने की स्वीकृति होना दर्ज पाया गया। **प्रदर्श–5** जमाबन्दी संवत् 2051–54 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 469 में अंकित खसरा संख्या 2009/1 रकबा 00–00–10 गुला व भीमा पि. लाखा कौम रावत सा. देह गैर खातेदार क नाम दर्ज होना पाया गया एवं इसी में लगे नोट नामा. सं. 448 दिनांक 13.06.95 से गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज होना दर्ज पाया गया है। **प्रदर्श–6** जमाबन्दी संवत् 2051–54 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 584 में अन्य खसरान के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 2009/2 रकबा 02–01–10 आबादी भूमि अधिनस्थ ग्राम पंचायत बलाड़ होना दर्ज पाया गया है। **प्रदर्श–7** वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 की प्रमाणित प्रति है जिसके खाता संख्या 355 में अन्य खसरान के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 2009/2 रकबा 02–01–10 भूमि जो कि पंचायत (आबादी) के तहत दिया जाना दर्ज है। **प्रदर्श–8** वर्किं जमाबन्दी संवत् 2041 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा संख्या 2009/1 रकबा 00–00–10 नामा.सं. 264 खंसं. 2009/1 रकबा 00–00–10 गैर खातेदार में दर्ज है। **प्रदर्श–9** जमाबन्दी संवत् 2066–69 की प्रमाणित जमाबन्दी है जिसके खाता संख्या 811 में खसरा संख्या 3081/2009 रकबा 02–01–10 आबादी भूमि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बलाड़ दर्ज है। **प्रदर्श–10** जमाबन्दी संवत् 2018–2021 की प्रमाणित प्रति है जिसमें अन्य खसरान के साथ साबिक खसरा संख्या 1676 रकबा 02–01–10 दर्ज है परन्तु उक्त साबिक खसरा संख्या 1676 में अंक 6 व 7 पर ओवरराईटिंग (कटिंग) की हुई है तथा इसी जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16 में अंकित नामान्तरकरण के नोट अस्पष्ट अंकित है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पाया कि अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के पद संख्या 2 में कथन किए हैं कि भीमा पुत्र लाखा नाऔलाद फौत हो चुका है जबकि प्रदर्श–4 ग्राम बलाड़ की जमाबन्दी संवत् 2059–62 के खाता संख्या 113 में लगे विरासत के नोट नामांतकरणं संख्या 950 दिनांक 20.04.2004 में भीमा वल्द लाखा के स्थान पर बहक जड़ाव पुत्री भीमा दर्ज होना पाया गया है जिससे वादी के कथन कि भीमा नाऔलाद फौत हो गया, गलत साबित होते हैं। प्रदर्श–10 जमाबन्दीसंवत् 2018–21 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें साबिक खसरा संख्या 1676 में ओवर राईटिंग की गई है एवं

....................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

इसके बाद की रोटेशन जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है। सेटलमेंट से पूर्व की अंतिम चौसाला जमाबन्दी संवत् 2024–27 तक की रही है जो कि वादी ने प्रस्तुत नहीं की है जिससे स्वयं ही संदेह उत्पन्न होता है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2009/2 रकबा 02–01–10 प्रारंभ से अब तक कभी भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं रही है तथा प्रदर्श–7 अनुसार ग्राम पंचायत आबादी के नाम दर्ज हुई है जो कि सेटलमेंट के समय की वर्किंग जमाबन्दी में स्पष्ट है। उक्त भूमियां राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्ष 1984 से आबादी भूमियां ग्राम पंचायत बलाड़ के नाम दर्ज है जिस बाबत् वादीगण अथवा उनके पूर्वजों ने स्वयं की खातेदारी का वाद इस वाद दायरी से पूर्व लगभग 28 वर्षो में कभी भी न्यायालय में दायर नहीं किया गया है एवं न ही इस बाबत् किसी प्रकार की चाराजोही सक्षम अधिकारी के समक्ष करने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। वर्तमान में उक्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को नहीं है। इसके अतिरिक्त भी वादीगण वाद को स्वयं के पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-07-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संधू आई. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या 08/2012

1. श्रीमती सन्तोष पत्नि श्री मोडसिंह पुत्री श्री कूंपा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम रूपाहेली हाल मुकाम शैलपुरा तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती कमला पत्नि श्री अर्जुनसिंह पुत्री कूंपा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम रूपाहेली हाल मुकाम बाघमाल, तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.)
3. श्रीमती सोहनी पत्नि श्री भंवरसिंह श्री कूंपा पुत्र श्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम रूपाहेली हाल मुकाम भैरू का नाका तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

........................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) महोदय ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. राजस्थान सरकार बजरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर (राज.)
3. श्री सम्पत पुत्र श्री मिठु जाति रावत, निवासी ग्राम रामगढ़ झूठा, ग्राम पंचायत बलाड़ सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

..................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी................मिनजामिन मुददई रूबरू..................मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी..................मुबलिक..................बाबत...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक..................की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15-07-2019 को जारी किया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 15:23:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: